न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी : – राकेश कुमार गुप्ता (R.A.S.)
राजस्व वाद संख्या : – 2/2021

उनवान

सत्यनारायण पुत्र लक्ष्मीनारायण (मृतक जरियें वारिसान)
1/1. सन्तोष पत्नी सत्यनारायण
1/2. हर्षित पुत्र सत्यनारायण
1/3. पवन पुत्र सत्यनारायण
1/4. वर्षा पुत्री सत्यनारायण
1/5. मीनू पुत्री सत्यनारायण जाति माली निवासी ग्राम राताखेडा, नसीराबाद
——— प्रार्थी :– जरियें अधिवक्ता श्री अभिषेक जैन

बनाम

राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद।
—— अप्रार्थी :– जरियें राज0 पैरोकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–: आदेश :– दिनांक :– 16.11.21

प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम व पटवार मण्डल बैवंजा तहसील नसीराबाद के हाल खसरा नम्बर 1534 रकबा 0.24 की आराजी प्रार्थी की एकल खातेदारी की है। जिस पर वह काबिज काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी की खातेदारी आराजी पर आवागमन हेतु राजस्व अभिलेख व मौके पर कोई रास्ता विधमान नही है जिस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी आराजी पर आवागमन हेतु खसरा नम्बर 1509, 1493, 1476 में से नया मार्ग बनाना चाहता है। उक्त आराजी राजस्व अभिलेख में सिवायचक है। तथा प्रार्थी के पास उक्त आराजी पर आवागमन के अतिरिक्त अन्य कोई मार्गाधिकार मौके व राजस्व अभिलेख में विधमान नही है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि ग्राम बैवंजा में स्थित प्रार्थी की खातेदारी पर आवागमन हेतु खसरा नम्बर 1509, 1493, 1476 मे से प्रार्थी को 30 फिट चौडा रास्ता माननीय न्यायालय द्वारा प्रदान किया जावे। उक्त अनुसार आदेश जारी कर तहसीलदार नसीराबाद को राजस्व रेकार्ड व मानचित्र में रास्ता दर्ज करने के भी आदेश पारित करावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरियें नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार नसीराबाद से मौका रिपोर्ट तलब की गयी।

तहसीलदार नसीराबाद ने भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा तैयार मौका रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1534 व 1535 में आवागमन हेतु खसरा नम्बर 1509, 1493 व 1476 [illegible] खसरा नम्बर [illegible] तक

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.06 16:59:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

Scanned by CamScanner

पहुचता है। उक्त मार्ग वर्तमान में लघुतम है। खसरा नम्बर 1509 मे से 8 गुणा 8 मीटर कुल 64 वर्ग मीटर, 1493 में से 210 मीटर गुणा 8 मीटर कुल 1680 वर्ग मीटर, 1476 में से 24 मीटर गुणा 8 मीटर कुल 192 वर्ग मीटर कुल 1936 वर्ग मीटर भूमि की मार्ग हेतु आवश्यकता है। इस मार्ग से खसरा नमबर 1493 के दो भाग हो जाते है। इसके अतिरिक्त उक्त खसरा नम्बर में से अन्य मार्ग भी दिया जा सकता है जिसमें भूमि की आवश्यकता अधिक है। भूमि की डी0एल0सी0 दर 2,80,718 प्रति हैक्टे. है। प्रार्थी के पास मौके पर अय कोई वैकल्पिक मार्ग नही है। प्रार्थी को मार्ग की आत्यतिंक आवश्यकता सिद्व होती है। प्रकरण में खण्डन हेतु कोई तथ्य उपलब्ध नही है। किन्तु खसरा नम्बर 1509 की किस्म गै0मु0 पाल है जिसमें से रास्ता दिया जाना विधि के अनुकूल नही है। धारा 251 ए की मूल अवधारणा एक आसामी को अपनी भूमि तक आवागमन हेतु रास्ता उपलब्ध कराने की है। अतः प्रार्थीगण खसरा नम्बर 1493 व 1476 में से रास्ता प्राप्त करने के अधिकारी है।

उक्तानुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र "स्वीकार" किया जाता है। ग्राम बैंवजा के खसरा नम्बर 1493 में से 210 मीटर गुणा 8 मीटर कुल 1680 वर्ग मीटर, 1476 में से 24 मीटर गुणा 8 मीटर कुल 192 वर्ग मीटर कुल 1872 वर्ग मीटर भूमि भूमि सिवायचक रास्ता दर्ज करने के आदेश जारी किये जाते है। उक्त मार्ग के एवज में डी. एल. सी. दर से 2 गुना राशि 105101/ अक्षरे एक लाख पांच हजार एक सौ एक रूपये प्रार्थी द्वारा राजकोष में जमा करवाने के बाद तहसीलदार नसीराबाद उक्त रकबे को मौका रिपोर्ट में दर्ज नजरी नक्शा अनुसार राजस्व अभिलेख में सिवायचक रास्ता दर्ज करने की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी नसीराबाद (जिला-अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.06 16:59:55 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner